बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

अधिसूचना

संख्या :– 8/व3–34/2012......1452 पटना, दिनांक :– 30/12/14

"बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–35) की धारा 2 के खण्ड (h) के अनुसार स्थानीय प्राधिकार (Local Authority) को निम्नवत परिभाषित किया गया है :– " Local authority" means a Municipal Corporation or Municipal Council or Zila Parishad or Nagar Panchayat or Panchayat, by whatever name called, and includes such other authority or body having administrative control over the school or empowered by or under any law for the time being in force to function as a local authority in any city, town or village.

2. उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन स्थानीय प्राधिकार के लिए निम्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं :–

1. धारा 9 (क) प्रत्येक बच्चा को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
2. धारा 9 (ख) धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
3. धारा 9 (ग) कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित समूह के बच्चों के प्रति पक्षपात न होने देना तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे सुनिश्चित करना।
4. धारा 9 (घ) क्षेत्रा–अन्तर्गत निवास करने वाले 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अभिलेख संधारण करना।
5. धारा 9 (ङ) क्षेत्राधीन निवास करने वाले प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश एवं उपस्थिति हो इसे विनिश्चित करना तथा उसके द्वारा प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा पुरी हो, इसे सुनिश्चित करना।
6. धारा 9 (च) आधारभूत संरचना, जिसके अन्तर्गत विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री भी है, उपलब्ध कराना।
7. धारा 9 (छ) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।
8. धारा 9 (ज) अधिनियम की अनुसूची के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराना।
9. धारा 9 (झ) प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करना।

10. धारा 9 (ञ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।

11. धारा 9 (ट) विस्थापित परिवारों के बच्चों के प्रवेश को सुनिश्चित करना।

12. धारा 9 (ठ) अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों के कार्यो का अनुश्रवण करना।

13. धारा 9 (ड) शैक्षणिक कलैण्डर का निश्चय करना।

3. उक्त अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य में विभिन्न स्तरों के लिए स्थानीय प्राधिकारों को घोषित करते हुए संलग्न अनुलग्नक 'क' के अनुसार उनके दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 8/व3–34/2012, 707 दिनांक 27.09.2012 को निरस्त किया जाता है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/12/14

(सुनील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

K.K. Singh

ज्ञापांक :– 8/व3–34/2012......1452 पटना, दिनांक :– 30/12/14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी नगर आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदधिकारी एवं सभी पंचायत सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/12/14
संयुक्त सचिव।

K.K. Singh

ज्ञापांक :– 8/व3–34/2012......1452 पटना, दिनांक :– 30/12/14

प्रतिलिपि :– सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली–110115/Senior consultant (Media) T.S.G Room No.-520, पाँचवां तल्ला विजया भवन, बाड़ा खम्भा रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

30/12/14
संयुक्त सचिव।

K.K. Singh

ज्ञापांक :– 8/व3–34/2012......1452 पटना, दिनांक :– 30/12/14

प्रतिलिपि :– माननीय शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/12/14
संयुक्त सचिव।

K.K. Singh

ज्ञापांक :– 8/व3–34/2012......1452 पटना, दिनांक :– 30/12/14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, वित्त विभाग को बिहार गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

30/12/14
संयुक्त सचिव।

K.K. Singh

E:\Pri. edu. (J)\Niyamawali\RTE\2014-Dec.doc